माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27 जुलाई' 2015 को आयोजित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन एवं Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) के संबंध में प्रस्तुति बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विषयवस्तु प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा पिछले माह निम्नलिखित तीन योजनाएं लागू की गयी है :–

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing for All)

(ii) स्मार्ट सिटी मिशन

(iii) **Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)**

2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तीनों योजनाओं के मुख्य प्रावधानों के संबंध में प्रस्तुति की गयी। प्रस्तुति के क्रम में योजनाओं का उद्देश्य, निधि की व्यवस्था, कार्यान्वयन रणनीति, प्रशासनिक ढाँचा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि सभी पहलुओं को उपस्थापित किया गया।

3. **गहन विचारोपरांत निम्नवत विशिष्ट निर्णय लिये गये :–**

(i) **सबके लिए आवास (शहरी) योजना :–**

(क) सबके लिए आवास (शहरी) योजना के घटक लाभान्वित आधारित वैयक्तिक गृह निर्माण योजना में भारत सरकार द्वारा प्रति परिवार 1.5 लाख रूपये अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार इसके अलावा 50 हजार रूपये अपने संसाधनों से देगी।

(ख) सबके लिए आवास (शहरी) योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में भारत सरकार के साथ Memorandum of Agreement (MOA) किया जाय।

(ग) मार्गदर्शिका में प्रावधानित कंडिका–11 में उद्धृत अनिवार्य शर्त्तों को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी। इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

13/8

(ड़) इस योजना का कार्यान्वयन सभी शहरी स्थानीय निकायों में समानांतर तरीके से किया जाना है, बशर्ते भारत सरकार की इस पर सहमति हो।

(च) योजना के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जाय ताकि लाभान्वितों के चयन में वस्तुनिष्ठ मापदंड अपनाया जा सके।

(ii) **स्मार्ट सिटी मिशन** :–

(क) भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन में सैद्धांतिक सहमति दी गयी।

(ख) योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में 50 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गयी।

(ग) योजना के अंतर्गत शहरों के चयन के मापदंडों के आलोक में राजधानी पटना एवं अन्य 07 नगर निगम शहरों का चयन नहीं हो पाया है, जबकि इन सभी शहरों में भी मूलभूत आवश्यकताओं का विकास होना नितांत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से इन शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के समरूप और उनसे बेहतर आधारभूत ढाँचा विकसित करने तथा आई०टी० आधारित सेवाएं देने के लिए निकायवार योजना तैयार की जाय, जो राज्य योजना से वित्त पोषित होगी।

(iii) **Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)** :–

(क) भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।

(ख) परियोजना आधारित इस योजना के कार्यान्वयन में 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी एवं 20 प्रतिशत धनराशि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों (14वें वित्त आयोग की अनुदान सहित) से व्ययभार वहन करना अनिवार्य होगा।

(ग) भारत सरकार से इस आशय का अनुरोध किया जाय कि इस योजना में राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण की वर्तमान प्रणाली, बिहार जैसे राज्यों के लिए न्यायोचित नहीं है। वर्तमान प्रणाली में 50 प्रतिशत वेटेज शहरों की संख्या को एवं 50 प्रतिशत

वेटेज शहरी आबादी को दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप देश के कुल संसाधनों में से बिहार को मात्र 3.28 प्रतिशत संसाधन मिल सकेंगे, जबकि बिहार की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.26 प्रतिशत है। वर्तमान मापदंड के कारण वैसे राज्य, जिसमें शहरीकरण कम हुआ है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करके जनसंख्या के अनुपात में संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।

(घ) अन्य अवशेष 27 नगर परिषद शहरों में समरूप नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए अलग से एक राज्य योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाय।

4. यह भी निर्णय लिया गया कि इस वित्तीय वर्ष में नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य योजना में उपलब्ध निधि से इन तीनों योजनाओं में राज्यांश की राशि की व्यवस्था आँतरिक समायोजन से की जाय एवं अगले वित्तीय वर्ष से यथोचित बजटीय उपबंध कराया जाय।

13/8/15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 3684 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/8/15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3684 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

13/8/15
प्रधान सचिव